रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3702] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 14, 2018/भाद्र 23, 1940
No. 3702] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 14, 2018/BHADRA 23, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2018

का.आ. 4866(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु तमिलनाडु जल पूर्ति और जल निकास (ड्रेनेज) बोर्ड अधिनियम, 1970 (तमिलनाडु अधिनियम 1971 का 4) के तहत गठित 'तमिलनाडु जल पूर्ति और जल निकास बोर्ड' को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) सरकारी/स्थानीय निकायों से अनुदान (सी डब्लू एस एस के आपरेशन और रखरखाव पर घाटा);

(ख) जल पूर्ति योजना और अंडर ग्राउन्ड सीवरेज स्कीम के लिए जांच प्रभार;

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर सेनटेज;

(घ) अधिक (बल्क) जल आपूर्ति के लिए स्थानीय निकायों से संग्रहित जल प्रभार (तमिलनाडु सरकार द्वारा नियत जल दर (टैरिफ);

(ड) पेंशन और ग्रेच्यूटी अंशदान से प्राप्तियां; और

(च) किराया प्रभार, टेंडर अनुसूची की बिक्री, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आय, ठेकेदार/ फर्म रजिस्ट्रेशन फीस, धीमी प्रगति के लिए जुर्माना, जमानत जमा की जब्ती, पर्यवेक्षण प्रभार, रद्दी कागजों की बिक्री, प्रयुक्त आस्तियों की बिक्री, प्रकाशन अंशदान, फील्ड टेस्टिंग किट, जल जांच प्रभार, सामग्री जांच प्रभार, सी डब्ल्यू एस एस के लिए जेनरेटर चलाने हेतु स्थानीय निकायों से ईंधन प्रभार, से प्राप्तियां;

(छ) उपर्युक्त (क) से (ड) पर अर्जित ब्याज;

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि तमिलनाडु जल पूर्ति और जल निकास बोर्ड,'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) विनिर्दिष्ट आय के संबंध में क्रियाकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 52/2018/फा. सं. 300196/04/2018-आईटीए-I]

विनय शील गौतम, अवर सचिव

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.